



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad -121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रदद आवेदन के विरुद्ध श्री SHEK NABI NAWAZ पुत्र/पुत्री श्री SHEK SADMARY टोकन नं.527 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SHEK NABI NAWAZ पुत्र/पुत्री श्री SHEK SADMARY टोकन नं. 527 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशो के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री SHEK NABI NAWAZ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHEK SADMARY की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1022

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री SHEK NABI NAWAZ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHEK SADMARY टोकन नं. 527 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 26.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad - 121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411684, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MD. MURSEED पुत्र/पुत्री श्री MD. IMTAJ टोकन नं.703 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MD. MURSEED पुत्र/पुत्री श्री MD. IMTAJ टोकन नं. 703 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री MD. MURSEED पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD. IMTAJ की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1023

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री MD. MURSEED पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD. IMTAJ टोकन नं. 703 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 26.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad -121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ALAUDDIN पुत्र/पुत्री श्री ABDUL KAQUM टोकन नं.711 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ALAUDDIN पुत्र/पुत्री श्री ABDUL KAQUM टोकन नं. 711 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र कमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री ALAUDDIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABDUL KAQUM की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन कमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1024

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री ALAUDDIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABDUL KAQUM टोकन नं. 711 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 26.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad - 121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री PUSHPA KUMARI पुत्र/पुत्री श्री DEVENDER KUMAR टोकन नं.836 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री PUSHPA KUMARI पुत्र/पुत्री श्री DEVENDER KUMAR टोकन नं. 836 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री PUSHPA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DEVENDER KUMAR की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1025

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री PUSHPA KUMARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री DEVENDER KUMAR टोकन नं. 836 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 26.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad

B.K. Chowk N.I.T Faridabad -121001, Haryana-India

Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549

Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MEENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री SURESH CHAND टोकन नं.1650 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MEENA DEVI पुत्र/पुत्री श्री SURESH CHAND टोकन नं. 1650 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र कमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री MEENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURESH CHAND की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन कमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1026

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री MEENA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURESH CHAND टोकन नं. 1650 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 27.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad - 121001, Haryana India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री BALA पुत्र/पुत्री श्री BHAJAN टोकन नं.1741 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री BALA पुत्र/पुत्री श्री BHAJAN टोकन नं. 1741 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री BALA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHAJAN की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1027

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री BALA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BHAJAN टोकन नं. 1741 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 28.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk, N.I.T Faridabad - 121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NAGMAI JAHA पुत्र/पुत्री श्री ABDUL SALIM टोकन नं.1801 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NAGMAI JAHA पुत्र/पुत्री श्री ABDUL SALIM टोकन नं. 1801 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री NAGMAI JAHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABDUL SALIM की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1028

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री NAGMAI JAHA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABDUL SALIM टोकन नं. 1801 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 28.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad - 121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MUNNI पुत्र/पुत्री श्री TEJ RAM टोकन नं.1857 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MUNNI पुत्र/पुत्री श्री TEJ RAM टोकन नं. 1857 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री MUNNI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री TEJ RAM की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1029

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री MUNNI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री TEJ RAM टोकन नं. 1857 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 28.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad - 121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री श्री Jamun Purve टोकन नं.2341 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री श्री Jamun Purve टोकन नं. 2341 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र कमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jamun Purve की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद

पृष्ठांकन कमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1030

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री RANI DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Jamun Purve टोकन नं. 2341 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 28.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad -121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Yogender singh पुत्र/पुत्री श्री Shik kumar टोकन नं.2465 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Yogender singh पुत्र/पुत्री श्री Shik kumar टोकन नं. 2465 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र कमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री Yogender singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shik kumar की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद

पृष्ठांकन कमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1031

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री Yogender singh पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Shik kumar टोकन नं. 2465 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 28.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad - 121001, Haryana India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416485



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Raj nath yadav पुत्र/पुत्री श्री Prabhu nath yadav टोकन नं.2473 द्वारा अपील के निणय बारे ।


खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Raj nath yadav पुत्र/पुत्री श्री Prabhu nath yadav टोकन नं. 2473 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र कमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री Raj nath yadav पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Prabhu nath yadav की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद

पृष्ठांकन कमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1032

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री Raj nath yadav पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Prabhu nath yadav टोकन नं. 2473 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 30.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad -121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री LAXMI ARYA पुत्र/पुत्री श्री PANE RAM टोकन नं.2536 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।


खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री LAXMI ARYA पुत्र/पुत्री श्री PANE RAM टोकन नं. 2536 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री LAXMI ARYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PANE RAM की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1033

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री LAXMI ARYA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PANE RAM टोकन नं. 2536 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 30.06.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad - 121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री RUKSHANA BEGUM पुत्र/पुत्री श्री MANSUR ALI टोकन नं.2661 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।


खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री RUKSHANA BEGUM पुत्र/पुत्री श्री MANSUR ALI टोकन नं. 2661 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र कमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री RUKSHANA BEGUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANSUR ALI की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।


दिनांक: 09.05.2024



आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन कमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1034

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री RUKSHANA BEGUM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANSUR ALI टोकन नं. 2661 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 03.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad -121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री ALI WARIS पुत्र/पुत्री श्री ABDUL MAJID टोकन नं.2972 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री ALI WARIS पुत्र/पुत्री श्री ABDUL MAJID टोकन नं. 2972 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र कमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री ALI WARIS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABDUL MAJID की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन कमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1035

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री ALI WARIS पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ABDUL MAJID टोकन नं. 2972 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 04.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं करीधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad - 121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411694, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Ramji mistri टोकन नं.3336 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री श्री Ramji mistri टोकन नं. 3336 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र कमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ramji mistri की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन कमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1036

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री SUNITA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Ramji mistri टोकन नं. 3336 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 05.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad -121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री YUSUF पुत्र/पुत्री श्री Abdul Rahim टोकन नं.3745 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।


खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री YUSUF पुत्र/पुत्री श्री Abdul Rahim टोकन नं. 3745 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री YUSUF पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul Rahim की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1037

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री YUSUF पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Abdul Rahim टोकन नं. 3745 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 05.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad

B.K. Chowk, N.I.T. Faridabad - 121001, Haryana-India

Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549

Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री Mahesh Chander पुत्र/पुत्री श्री Bachi ram टोकन नं.3971 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री Mahesh Chander पुत्र/पुत्री श्री Bachi ram टोकन नं. 3971 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री Mahesh Chander पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bachi ram की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1038

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री Mahesh Chander पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Bachi ram टोकन नं. 3971 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 07.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad

B.K. Chowk N.I.T Faridabad - 121001, Haryana-India

Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549

Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MOHAMMAD SHARIF KHAN पुत्र/पुत्री श्री KARAMAT ALI टोकन नं.4401 द्वारा अपील के निणर्य बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MOHAMMAD SHARIF KHAN पुत्र/पुत्री श्री KARAMAT ALI टोकन नं. 4401 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री MOHAMMAD SHARIF KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KARAMAT ALI की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1039

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री MOHAMMAD SHARIF KHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KARAMAT ALI टोकन नं. 4401 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 07.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk, N.I.T Faridabad - 121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NIJAMUDDIN पुत्र/पुत्री श्री Din Mohammad टोकन नं.4663 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।


खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NIJAMUDDIN पुत्र/पुत्री श्री Din Mohammad टोकन नं. 4663 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र कमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री NIJAMUDDIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Din Mohammad की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन कमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1040

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री NIJAMUDDIN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Din Mohammad टोकन नं. 4663 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 08.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad -121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री MD. JABIR ANSARI पुत्र/पुत्री श्री MD. RASHID ANSARI टोकन नं.4693 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।


खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री MD. JABIR ANSARI पुत्र/पुत्री श्री MD. RASHID ANSARI टोकन नं. 4693 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री MD. JABIR ANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD. RASHID ANSARI की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1041

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री MD. JABIR ANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MD. RASHID ANSARI टोकन नं. 4693 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 08.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad - 121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री NIZAM पुत्र/पुत्री श्री Orang sha टोकन नं.4954 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री NIZAM पुत्र/पुत्री श्री Orang sha टोकन नं. 4954 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री NIZAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Orang sha की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1042

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री NIZAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Orang sha टोकन नं. 4954 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 08.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad

B.K. Chowk N.I.T Faridabad - 121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री SANJAY PANDIT पुत्र/पुत्री श्री RAMASHRAY PANDIT टोकन नं.0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री SANJAY PANDIT पुत्र/पुत्री श्री RAMASHRAY PANDIT टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री SANJAY PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMASHRAY PANDIT की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1043

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री SANJAY PANDIT पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMASHRAY PANDIT टोकन नं. 0 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 09.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad -121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री श्री SARWAN PANDIT टोकन नं.0 द्वारा अपील के निर्णय बारे ।


खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदनुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री श्री SARWAN PANDIT टोकन नं. 0 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पृष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SARWAN PANDIT की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।


दिनांक: 09.05.2024


आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी
नगर निगम फरीदाबाद।

पृष्ठांकन क्रमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1044

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री USHA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SARWAN PANDIT टोकन नं. 0 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 09.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।


क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी



Municipal Corporation, Faridabad
B.K. Chowk N.I.T Faridabad - 121001, Haryana-India
Tel. : 0129-2411649, 2411664, 2415549
Fax : 0129-2416465



SPEAKING ORDER

विषय:- नगर निगम फरीदाबाद की भूमि पर बैठे हुए खोरी झुग्गी वासियों (लक्कड़पुर की राजस्व सीमा में) के पुर्नवास के लिए आवासीय योजना के तहत ई० डब्ल्यू० एस० फ्लैट आवंटन के लिए रद्द आवेदन के विरुद्ध श्री DINESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Chaturi narayan टोकन नं.4242 द्वारा अपील के निणय बारे ।

खोरी लक्कड़पुर के जिन आवेदनकर्ताओं के आवेदन आवासीय योजना के तहत ई०डब्ल्यू०एस० फ्लैट आवंटन के लिये निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण योग्य नहीं पाये गये थे तदानुसार उनके आवेदनों को संयुक्त आयुक्त (टी०) एवं सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार रद्द कर दिया गया था जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता श्री DINESH KUMAR पुत्र/पुत्री श्री Chaturi narayan टोकन नं. 4242 का आवेदन भी रद्द कर दिया गया था। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की गई है जिस पर कोई भी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व अपीलार्थी को पर्याप्त समय देते हुए इस कार्यालय के पत्र कमांक MCF/AEO/2023/675 दिनांक 13.06.2023 प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया ।

अपीलार्थी. उपरोक्त समय पर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सक्षम अधिकारी के सम्मुख उपस्थित हुआ/हुई तथा शपथपूर्वक ब्यान दिया कि उसके द्वारा अपील के साथ व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज संलग्न किये गये हैं उनके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई और दस्तावेज नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच (Verification) हेतु गठित कमेटी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई तथा सम्बन्धित विभागों से भी कथित दस्तावेजों की जांच/ पुष्टि करवाई गई।

जांच उपरान्त पाया गया कि आपके द्वारा पुर्नवास के लिए "आवासीय योजना" में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्देशों के तहत दस्तावेज सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की शर्त को पूर्ण करते हैं।

अतः अपीलार्थी श्री DINESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Chaturi narayan की अपील अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्वीकृत की जाती है।

दिनांक: 09.05.2024

आयुक्त एवं अपीलीय अधिकार
नगर निगम फरीदाबाद

पृष्ठांकन कमांक: न०नि०फ०/ए०ई०ओ०/2024/1045

दिनांक:-09.05.2024

1. श्री DINESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री Chaturi narayan टोकन नं. 4242 उसके द्वारा दायर अपील दिनांक 09.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारी कृते:
आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी